रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29052023-246140 CG-DL-E-29052023-246140

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 322] No. 322] नई दिल्ली, सोमवार, मई 29, 2023/ज्येष्ठ 8, 1945 NEW DELHI, MONDAY, MAY 29, 2023/JYAISHTHA 8, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2023

(आयकर)

सा.का.नि. 396(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 249 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर नियम, 1962 के नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (छठा संशोधन) नियम,2023 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. आयकर नियम, 1962 में,—
 - (I) नियम 45 में,—
 - (क) पार्श्व टिप्पण में "आयुक्त (अपील)" शब्दों और कोष्टकों के स्थान पर "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)" शब्द रखे जाएंगे,
 - (ख) उपनियम (i) में, "आयुक्त (अपील)" शब्दों और कोष्टकों के स्थान पर "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) " शब्द रखे जाएंगे,
 - (II) नियम 46क में,—

3407 GI/2023 (1)

- (क) पार्श्व टिप्पण में, "उपायुक्त" शब्द के स्थान पर "संयुक्त आयुक्त" शब्द रखे जाएंगे;
- (ख) "उपायुक्त" शब्द के स्थान पर जहां कहीं भी यह आया हो, उसके स्थान पर "संयुक्त आयुक्त" शब्द रखे जाएंगे ;
- (III) उपाबंध-II में, प्ररुप सं. 35 में,—
 - (क) शीर्षक में, "आयकर आयुक्त" शब्द से पूर्व, "संयुक्त आयुक्त (अपील) या" शब्द और कोष्टक अतःस्थापित किए जाएंगे:
 - (ख) "आयुक्त" शब्द से पूर्व, जहां कही भी यह आया हो उसके स्थान पर "संयुक्त आयुक्त (अपील) या" शब्द और कोष्टक अतःस्थापित किए जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 32/2023/फा. सं. 370142/10/2023-टीपीएल]

रमन चोपड़ा, संयुक्त संचिव

टिप्पण: मूल नियमों को अधिसूचना सं.का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अधिसूचना सं. सा.का.नि. 379(अ) तारीख 22 मई, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2023

INCOME-TAX

- **G.S.R. 396(E).**—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 249 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called Income-tax (Sixth Amendment) Rules, 2023.
 - (2) They shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962,—
 - (I) In rule 45,—
 - (A) in the marginal heading, for the words and brackets "Commissioner (Appeals)", the words and brackets "Joint Commissioner (Appeals) or Commissioner (Appeals)" shall be substituted;
 - (B) in sub-rule (1), for the words and brackets "Commissioner (Appeals)", the words and brackets "Joint Commissioner (Appeals) or the Commissioner (Appeals)" shall be substituted;
 - (II) In rule 46A,—
 - (A) in the marginal heading, for the words "Deputy Commissioner", the words "Joint Commissioner" shall be substituted;
 - (B) for the words "Deputy Commissioner" wherever they occur, the words "Joint Commissioner" shall be substituted;
 - (III) In Appendix-II, in FORM NO. 35,—
 - (A) in the heading, before the words "Commissioner of Income-tax", the words and brackets "Joint Commissioner (Appeals) or the" shall be inserted;
 - (B) before the word "Commissioner" wherever they occur, the words and brackets "Joint Commissioner (Appeals) or" shall be inserted.

[Notification No. 32/2023/F. No. 370142/10/2023-TPL]

RAMAN CHOPRA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published *vide* notification S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification G.S.R. 379 (E) dated the 22nd May, 2023.